



दिनांक 25.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति 493 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मीरजापुर इकाई द्वारा की गयी टैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 25.09.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मीरजापुर इकाई** द्वारा विकास कुमार गुप्ता निवासी मदारीपुर रजपुरा थाना कोतवाली जनपद भदोही से विद्युत कनेक्शन कटवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम भदोही से **कार्यालय सहायक प्रशान्त कुमार (विद्युत वितरण खण्ड प्रथम भदोही)** पुत्र स्व० श्यामजी प्रसाद निवासी करुबा व थाना रसड़ा जनपद बलिया, हालपता गोपाल कुन्ज रजपुरा थाना कोतवाली जनपद भदोही को **08 हजार रुपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।



दिनांक 25.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति 494 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सोनभद्र/थाना साइबर थाना

- साइबर ठगी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- साइबर फ्रॉड के 02 लाख 10 हजार रुपये नगद एवं 75 लाख रुपये होल्ड/फ्रीज
- साइबर फ्रॉड के रूपों से खरीदी गई 01 टाटा हैरियर कार
- 05 मोबाइल फोन
- 01 इलाबाद हाईकोर्ट अधिवक्ता का फर्जी आईडी कार्ड बरामद

जनपद सोनभद्र की साइबर थाना, साइबर सेल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ओमेक्स अपार्टमेन्ट प्रयागराज से साइबर ठगी करने वाले मुख्य अभियुक्त अरुण कुमार सहित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से साइबर फ्रॉड के 02 लाख 10 हजार रुपये नगद एवं 75 लाख रुपये होल्ड/फ्रीज, साइबर फ्रॉड के रूपों से खरीदी गई 01 टाटा हैरियर कार, 05 मोबाइल फोन, 01 इलाबाद हाईकोर्ट अधिवक्ता का फर्जी आईडी कार्ड बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो हायर ज्यूडिशियरी एवं शासन के अधिकारियों का भय दिखाकर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट कर, AI तकनीक का दुरुपयोग कर Deepfake Images एवं फर्जी Documents तैयार कर उन्हें ब्लैकमेल कर गिरफ्तारी एवं कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर अलग-अलग बैंक खातों में लगभग 2.36 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफर करा ली गई।

इस सम्बन्ध में थाना साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अरुण कुमार निवासी विजयपुर कलना, चुनार, जनपद मिर्जापुर।

2—दो अभियुक्ता ।

बरामदगी

1—साइबर फ्रॉड के 02 लाख 10 हजार रुपये नगद एवं 75 लाख रुपये होल्ड/फ्रीज ।

2—साइबर फ्रॉड के रूपयो से खरीदी गई 01 टाटा हैरियर कार ।

3—05 मोबाइल फोन ।

4—01 इलाबाद हाईकोर्ट अधिवक्ता का फर्जी आईडी कार्ड ।

जनपद रामपुर/थाना अजीमनगर

● 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 25.09.2026 को थाना अजीमनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लालपुर डैम पुल के नीचे गेस्ट हाउस के पास से अभियुक्त जैबुल उर्फ जुबैर को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद हुए ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मुरादाबाद, रामपुर के विभिन्न थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत हैं ।

इस सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जुबैल उर्फ जुबैर निवासी ग्राम धर्मपुरा पश्चिमी थाना टाण्डा जनपद रामपुर ।

बरामदगी

1—चोरी की 05 मोटर साइकिल ।

➤ जनपद इटावा/थाना सैफई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड)

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना सैफई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त के0डी0 उर्फ कृष्णचन्द्र को आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

- जनपद औरैया/थाना अजीतमल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना अजीतमल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सतीश को सश्रम आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद औरैया/थाना को0 औरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना को0 औरैया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 394 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त महावीर को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
